संख्या-33/2017/876/59-2-2017-18(खा)/2009

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (सामान्य) हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-373/खा0ग्रो0बो0/कौ0सु0प्र0/प्रशिक्षण/2017-18, दिनांक 13.09.2017 एवं पत्रांक-427/खा0ग्रो0बो0/कौ0सु0प्र0/प्रशिक्षण/2017-18, दिनांक 27 सितम्बर/30.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (सामान्य) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फॉट के अनुसार निदेशक कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत धनराशि को एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित किया जायेगा।

(3)- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन प्रत्येक सत्र में प्रवक्ता सहित समस्त प्रशिक्षार्थियों का तीन-तीन डिजिटल फोटोग्राफ, जिसमें समय एवं तिथि अंकित हो खिचवाकर संरक्षित किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षार्थियों के मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर भी उल्लिखित किये जायेंगे।

(4)- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)- कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष ''2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-26-कौशल सुधार प्रशिक्षण-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय'' के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 33/2017/876(1)/59-2-2017-18(खा)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 33/2017/876/59-2-2017-18(खा)/2009, दिनांक 06 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (सामान्य) मद के अर्न्तगत प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति हेतु प्रशिक्षण केन्द्रवार वित्तीय एवं भौतिक फॉट :-

क्र0	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	आच्छादित जनपद सं0	धनराशि रू0 में	सत्र संख्या	प्रशि0 की संख्या	विशेष
1.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ।	07	10,01,875.00	7	175	
2.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी-गोरखपुर	06	8,58,750.00	6	150	
3.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी-आजमगढ.	05	7,15,625.00	5	125	
4.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा मऊ	05	7,15,625.00	5	125	
5.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	05	7,15,625.00	5	125	
6.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवॉ-इलाहाबाद	07	10,01,875.00	7	175	
7.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी जालौन	11	12,88,125.00	9	225	
8.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला-शाहजहॉपुर	07	10,01,875.00	7	175	
9.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग- मथुरा	08	10,01,875.00	7	175	
10.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद बिजनौर	14	16,98,750.00	11+1	298	सभी सत्र 25 प्रशिक्षार्थियों का है, परन्तु बजट को दृष्टिगत एक बैच 25+21 प्रशि0 का होगा।
	योग	**75**	**1,00,00,000.00**	**69+1**	**1748**	

(रूपये एक करोड़ मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in